रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 14, 2002/वैशाख 24, 1924
No. 227] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 14, 2002/VAISAKHA 24, 1924

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2002

सं. 20/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी.)

सा. का. नि. 368(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 33 के साथ पठित नियम 19 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 45/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै. टै.) में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में शीर्षक "1. शर्तें और रक्षोपायों" के तहत, नेपाल और भूटान जहां अदायगी मुक्त रूप से संपरिवर्तनीय मुद्रा में की जाती है, को बांड के अंतर्गत निर्यात से संबंधित खण्ड (1) में,—

(i) खण्ड (i), के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"i. नेपाल अथवा भूटान में माल का आयातक, जैसा भी मामला हो, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत किसी बैंक से ऐसी आदयगी के लिए विदेशी आभ्यंतर प्रेषण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके निर्यातक को उक्त माल के लिए पूर्ण अदायगी करेगा अथवा ऐसे माल के निर्यात किए जाने से पहले भारत में ऐसे निर्यातक के प्रति अप्रतिसंहरणीय क्रेडिट पत्र खोलेगा;"।

(ii) खण्ड (iv) में "निर्यातक प्रस्तुत करेगा" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"जहां निर्यात अप्रतिसंहरणीय क्रेडिट पत्र के प्रति किया जाए, निर्यातक प्रस्तुत करेगा।"।

[फा० सं० 209/35/2002-के.उ.शु. 6]

एम. जी थमीज वलवन, अवर सचिव

टिप्पणी : दिनांक 26 जून, 2001 की मूल अधिसूचना सं. 45/2001-के.उ.शु. (गै. टै.) को दिनांक 26 जून, 2001 के सरकारी राजपत्र में सा.का.नि. सं. 474(अ) के तहत जारी किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2002

No. 20/2002-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 368(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (3) of rule 19 read with rule 33 of the Central Excise Rules, 2002, the Central Board of Excise and Customs hereby makes further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 45/2001-Central Excise (N.T.), dated the 26th June, 2001, namely :—

In the said notification, under heading "1. Conditions and safeguards," in clause (1) relating to export under bond to Nepal or Bhutan where payment is in freely convertible currency,—

(i) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :—

"i, the importer of the goods in Nepal or Bhutan, as the case may be, shall make full payment for said goods to the exporter thereof by furnishing Foreign Inward Remittance Certificate for such payment from any bank authorised to deal with foreign exchange by Reserve Bank of India or shall open an irrevocable letter of credit in favour of such exporter in India, before the export of such goods takes place;".

(ii) in clause (iv), for the words "the exporter shall furnish", the following words shall be substituted, namely :—

"Where the export is against an irrevocable letter of credit, the exporter shall furnish.".

[F. No. 209/35/2002-CX.6]
M.G. THAMIZH VALAVAN, Under Secy.

Note :—The principal notification No. 45/2001-Central Excise (N.T.), dated 26th June, 2001 was published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 474(E), dated 26th June, 2001.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.